



दिनांक- 15.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



पनवाड़ी पुलिस ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.10.2020 को थाना प्रभारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनुरुद्ध प्रताप सिंह द्वारा बनायी गयी टीम के द्वारा मां० न्यायालय एसीजेएम कुलपहाड़ में वारण्टी अभियुक्त मुन्ना पुत्र भवानीदीन सम्बन्धित मु०नं० 685/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुये मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1- उ०नि० श्री अवधेश सिंह सेंगर थाना पनवाड़ी (महोबा)

अपराध विवरण -

मु.न. 685/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पनवाड़ी (महोबा)

न्यायालय एसीजेएम - कुलपहाड़
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मुन्ना पुत्र भवानीदीन निवासी किल्हौआ थाना पनवाड़ी जिला महोबा।





दिनांक- 15.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



थाना अजनर पुलिस ने हत्या के वांछित 03 अभियुक्तों को आलाकत्ल के साथ किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर शशि कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-176/2020 धारा-147/148/149/302/404/504/506 भादवि के वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. जय सिंह पुत्र मिठइया उर्फ मिडू लाल उम्र 38 वर्ष 2. कल्लू उर्फ शैलेन्द्र राजपूत पुत्र श्याम लाल राजपूत उम्र 20 वर्ष 3. बृजमोहन राजपूत पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद उम्र 42 वर्ष, को महुआबांध के चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त सभी अभियुक्त अकौना के तत्कालीन प्रधान श्री राजू कुशवाहा की हत्या में वांछित थे, जिनके कब्जे से हमले में प्रयुक्त लोहे की राड व डण्डा/कुल्हाडी (आलाकत्ल) बरामद किये गये। अभियुक्तों को मां0 न्याया0 पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. जय सिंह पुत्र मिठइया उर्फ मिडू लाल उम्र 38 वर्ष नि0 अकौनी, थाना – अजनर।
2. बृजमोहन राजपूत पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद उम्र 42 वर्ष नि0 अकौनी, थाना अजनर
3. कल्लू उर्फ शैलेन्द्र राजपूत पुत्र श्याम लाल राजपूत उम्र 20 वर्ष नि0 ग्राम बिलरही, थाना श्रीनगर, जनपद-महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर - शशि कुमार पाण्डेय।
2. उ0नि0 राजेश कुमार प्रजापति 3. कां0 विजय कुमार 4. कां9 हरीओम 5. धर्मेन्द्र
6. कां0 बलजीत 7. कां राममिलन राजपूत, थाना अजनर, जनपद महोबा।





दिनांक- 15.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



खन्ना पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की बाइक के साथ दौडाकर पकडा

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड अभियान के क्रम में कल दिनांक 14.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना शिवआसरे के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा संदिग्धों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान थाना खन्ना में इलाई पुरवा से पहले पुलिया के पास चलाया जा रहा था, जहां पर अभियुक्त चेकिंग से घबराकर डरके भागने लगा, जिससे सन्देह पर पुलिस द्वारा सक्रिय होते हुये अभियुक्त को दौडाकर पकडा गया व मोटर साइकिल बजाज पल्सर (180-CC रंग काला) जो कि बिना नम्बर के थी के कागजात मांगे नही दिखाने पर गाडी की चेचिस नम्बर के आधार पर जानकारी की गयी जिससे ज्ञात हुआ कि गाडी चोरी की है, जिसके आधार पर अभियुक्त सुघर सिंह पुत्र राजबहादुर उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार करते हुये थाना स्थानीय पर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 126/2020 धारा 41/411 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही थाना पुलिस द्वारा सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण:-

सुघर सिंह पुत्र राजबहादुर उम्र 20 वर्ष निवासी चकदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर (एक अदद मोटरसाइकिल बजाज पल्सर 180cc रंग काला)



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० त्रिभुवन सिंह 2. का० विकास कुमार थाना खन्ना जनपद महोबा।



दिनांक- 15.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस

दिनांक 15.10.2020 पैदल गस्त / वाहन चेकिंग

आज दिनांक 15.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो को चेक किया गया तथा मुख्य बाजार का भ्रमण भी किया गया। इसके साथ ही कोविड-19 के तहत वाहन चेकिंग की गई, जिसमें 74 वाहनो से 8400/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया एवं 36 ई-चालान भी किये गये। कोविड-19 जागरुकता अभियान के तहत लोगो से मास्क पहनने व 02 गज की दूरी बनाये रखने तथा अपने हाथो को बार-बार सेनिटाइजर/साबुन से धोने की अपील की गई। जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

